

26/11/19

पंजाब की वेब दुर्ग। प्रमुख उच्च अपीलार्थिगण में निर्देश दिया कि वे प्रकरण को आगे नहीं चलावा चाहते हैं तथा इसी स्तर पर खारिज करवाना चाहते हैं। अपीलार्थिगण की पहचान वहील श्री विरवल सिंह सेनी ने की। अपीलार्थिगण का निर्देश स्वीकार कर अपील को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पंजाब की कैलेंडर नुसार हो कर नमूदा को कम हो व दायील देखकर हो।

(3)

26-11-19

~~सुप्रीम कोर्ट~~

दस्तावेज

